न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र स0 :– 03 / 2025

प्रार्थीयाः–	बनाम	अप्रार्थीया :–
1. सेणूदेवी पत्नी कानाराम चौधरी जाति जाट हाल निवासी मकान नंबर 67, आदर्श नगर, आलावास रोड़, सोजत रोड़ तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान ।		1. सुनीता चौधरी पत्नी मुकेश कुमार चौधरी पुत्री घेवरराम टाडा जाति जाट निवासी मेघडदा तह0 रायपुर जिला ब्यावर, हाल निवासी आलावास रोड़, सोजत रोड़ तह0 सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23, अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007

उपस्थित :–

01. श्री धर्मेन्द्र कुमार, श्री हनुमान सिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित।
02. श्री राजेश चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीया उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

–: निर्णय :– दिनांक 18/08/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने प्रा0 पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 23, अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिको का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत पेश किया कि प्रार्थीया के पुत्र की पत्नी सुनीता के साथ पारिवारिक विवाद चल रहा है। प्रार्थीया स्वयं की आय से अर्जित खरीदसुदा प्लोट संख्या 67, आबादी भूमि खसरा नम्बर 22 / 1, संपरिवर्तन आदेश संख्या / राजस्व / 863 दिनांक 28 / 04 / 1994 है, जिसका पट्टा संख्या 20, बुक संख्या 102, निसल संख्या 52 / 2022–23, दिनांक 18 / 01 / 2023 को संकल्प संख्या 07 की अनुपालना दिनांक 06 / 04 / 2023 का जारीसुदा है, जिसमें रहवासीय मकान आदर्श नगर, आलावास रोड़, सोजत रोड तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में आया हुआ स्थित है, उक्त मकान में सभी मुलभूत सुविधांए स्वंय की स्वअर्जित राशि से निर्माण की जो सम्पति प्रार्थीया की निजी, स्वयं के एकमात्र मालिकाना हक की है। प्रार्थीया अपने पति कानाराम चौधरी के साथ प्लोट मय मकान नम्बर 67 आदर्श नगर आलावास रोड़ सोजत रोड़ में रह रही है तथा मुझ प्रार्थीया का बड़ा पुत्र मनोज जोधपुर में निवास कर रहा है और मेरा छोटा पुत्र मुकेश अभी मुद्रां गुजरात में निवास कर रहा है। हम बुजुर्ग दाम्पती मेरे स्वयं के मालिकाना मकान में निवास कर रहे है। प्रार्थीया अपने पति कानाराम के साथ रह रही है, उसने आतंकित होकर जबरन दिनांक 04 / 04 / 2025 को प्रार्थीया के घर का ताला तोड़ कर घर में घुस गई व गाली गलोच व लड़ाई झगड़ा करती हुई प्रार्थीया को शारीरिक व मानसिक रूप से अप्रार्थीया ने प्रताड़ित किया। अप्रार्थीया झगड़ालु प्रवृति की महिला हैं जो हर समय लड़ाई झगड़ा करती रहती है एवं शराब, जुआ, सिगरेट पीने की आदि हैं तथा स्वतंत्र विचारधारा को लेकर अन्य युवको को उक्त मकान में शौक के रूप में घर बुलाकर हमारे घर में अश्लील वातावरण पैदा करती है। उक्त बात को लेकर प्रार्थीया के परिवार के सदस्यों द्वारा समझाने का प्रयास करते है तो उल्टा प्रार्थीया एवं प्रार्थीया के परिवार वालो को भद्दी अश्लील एवं गन्दी गन्दी गालियो के द्वारा अड़ौस पड़ौस एवं मौहल्ले वालो को सुनाकर प्रार्थीया व उनके परिवार वालो की सामाजिक प्रतिष्ठा भी धुमील करती हैं जिससे मैं प्रार्थीया और मुझ प्रार्थीया का पति जीवन जीने का मुलभूत अधिकार से वंचित करने जैसा कृत्य अप्रार्थीया के द्वारा किया

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

जा रहा है। अप्रार्थीया के कृत्य से इस संसार में जीना भी हमारा दुर्भर हो गया है। मैं प्रार्थीया अवसर बीमार रहती हूं, हाई बी.पी. की गोलियाँ चल रही है और मेरे पति हार्ट, शुगर, बी.पी. एवम् ब्रेन स्टोक की गम्भीर बीमारीयों से मेरी पुत्रवधु की हरकतो से गम्भीर रूप से पीडित हूं, उक्त समस्याओं से परेशान होकर पुलिस थाना सोजत रोड़ में एक रिपोर्ट उपरोक्त सम्बंध में भी प्रस्तुत की। जिस पर श्रीमान के न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, सोजत) में छः माह के लिये अप्रार्थीया सुनीता को इस्तगासा के जरिये धारा 126, 135 (3) व 170 बी. एन. एस. एस. के अन्तर्गत पावंद किया गया। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने प्रा0पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीया सुनीता को उक्त मकान से बेदखल कर मेरा स्वयं का हक दिलाने का श्रम कराने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते सुनवाई हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीया की ओर से जवाब प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया का यह लिखना सर्वथा गलत है कि ''प्रार्थीया के पुत्र की पत्नी सुनीता के साथ पारिवारिक विवाद चल रहा है'' जबकि वास्तविकता यह है कि अप्रार्थीया शांतिप्रिय महिला है तथा प्रार्थीया अप्रार्थीया की सासू है, जो आये दिन बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अप्रार्थीया को तंग, परेशान व मारपीट करती है, जिस कारण मजबुरीवश अप्रार्थीया ने प्रार्थीया व उसके परिवार वालो के विरूद्ध वास्तविक व सही तथ्यो के आधार पर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बर के मार्फत् मुकदमा संख्या 88/2025, पुलिस थाना बर में जुर्म अन्तर्गत धारा 115(2), 85, 316(2), 61(2) बी.एन. एस. के तहत दर्ज करवाया, जो पुलिस थाना बर में जैर अनुसंधान है, जिसकी आड में प्रार्थीया ने उक्त झूठा प्रार्थना पत्र गलत व मिथ्या तथ्यो के आधार पर श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया का उक्त पद में यह भी कथन कि ''प्रार्थीया स्वयं की आय से अर्जित खरीदसुदा प्लोट संख्या 67, आबादी भूमि खसरा नम्बर 22/1, संपरिवर्तन आदेश संख्या / राजस्व/863 दिनांक 28/04/1994 है, जिसका पट्टा संख्या 20, बुक संख्या 102, मिसल संख्या 52/2022–23, दिनांक 18/01/2023 को संकल्प संख्या 07 की अनुपालना दिनांक 06/04/2023 का जारीसुदा है, जिसमें रहवासीय मकान आदर्श नगर, आलावास रोड़, सोजत रोड तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में आया हुआ स्थित है, उक्त मकान में सभी मुलभूत सुविधांए स्वयं की स्वअर्जित राशि से निर्माण की जो सम्पति प्रार्थीया की निजी, स्वयं के एकमात्र मालिकाना हक की है'' सर्वथा गलत व मिथ्या है। उक्त सम्पूर्ण पद गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीया के दोनो पुत्र मनोज व मुकेश सोजत रोड़ में ही आदर्श नगर आलावास रोड़ में परिवार सहित रहते है, जो कभी कबार काम के सिलसिले से बाहर जाते है। सम्पूर्ण पैरा गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है। पद संख्या 3 सम्पूर्ण गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीया अपने पति कानाराम व दोनो पुत्र मनोज व मुकेश व उनके परिवार के साथ संयुक्त रूप से रहती है। दिनांक 04/04/2025 की सम्पूर्ण घटना मनगढ़त व मिथ्या है। अप्रार्थीया ने कभी भी प्रार्थीया को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया है। अप्रार्थीया झगडालू प्रवृति की महिला नहीं है, बल्कि अप्रार्थीया शांतिप्रिय महिला है। अप्रार्थीया शराब, जुआ, सिगरेट पीने की आदि नहीं है, पद में अश्लील वातावरण पैदा करने की बात भी सर्वथा गलत व मिथ्या है, मात्र प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीया की छवी धुमिल करने के आशय से व अप्रार्थीया द्वारा दर्ज मुकदमे से बचने की आड़ में उक्त प्रार्थना पत्र गलत व मनगढ़त तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीया ने कभी भी प्रार्थीया व उसके परिवार को भद्दी अश्लील एवम् गन्दी गन्दी गालिया कभी नहीं बोली है, न ही अडौस पडौस एवम् मौहल्ले वालो को सुनाकर बोली है, जिससे प्रार्थीया व उसके परिवार वालो की सामाजिक प्रतिष्ठा धुमील

उपखण्ड अधिकारी,

होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीया व उसका परिवार स्वयं झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है, जो घर में हर समय बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अप्रार्थीया से दहेज मांग को लेकर ताने देते है तथा लडाई झगडा कर अप्रार्थीया के साथ मारपीट करते है। प्रार्थीया एक स्वस्थचित महिला है, जिसको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। मात्र अप्रार्थीया द्वारा वास्तविक घटना पर दर्ज करवाये गये मुकदमा संख्या 88/2025 से बचने व अप्रार्थीया को तंग व परेशान करने की नियत से झूठे तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया द्वारा पुलिस थाना सोजत रोड़ में गलत व मिथ्या व मनगढ़त तथ्यो के आधार पर अप्रार्थीया के विरूद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अप्रार्थीया को उपखण्ड़ न्यायालय सोजत द्वारा पाबंद किया गया, जो प्रकरण गलत व मिथ्या है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। सम्पूर्ण पैरा गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है। इस प्रकार जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सव्यय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाने की ईश्तदुआ की हैं।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रस्तुत प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्लोट संख्या 67 रहवासीय मकान जो आदर्श नगर, आलावास रोड़, सोजत रोड तहसील सोजत में स्थित है, प्रार्थीया का स्वअर्जित सम्पति हैं। जिसमें अप्रार्थीया अनाधिकृत रूप से अन्दर घुस कर कब्जा कर लिया हैं तथा प्रार्थीया के साथ गाली–गलौच व मारपीट करती है तथा हम बुजुर्ग दम्पति को हैरान व परेशान कर रखा है, अप्रार्थीया को उक्त मकान से बेदखल करने हेतु यह प्रा0पत्र पेश किया है, न अप्रार्थीया से भरण पोषण दिलाने हेतु पेश किया हैं। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीया द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा झूठा व मनढ़त तथ्यों के साथ यह प्रा0पत्र पेश किया हैं। अप्रार्थीया अकेली नहीं रहती है, प्रार्थीया भी उसी मकान में रहती हैं। अप्रार्थीया प्रार्थीया की पुत्रवधु है। प्रार्थीया को उक्त सम्पति की ऑनर होने से अप्रार्थीया को बेदखल करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं। अप्रार्थीया के साथ अन्याय हुआ है, जिसका मुकदमा सिविल न्यायालय में विचाराधीन हैं। अप्रार्थीया के पति को पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीया से कोई भरण पोषण नहीं चाहा है, मात्र अप्रार्थीया का बेदखल करने हेतु यह प्रा0पत्र पेश किया है, जो अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

हमने प्रार्थना पत्र का गहनता से अध्ययन किया । प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र, जवाब प्रा0पत्र एवं फहरिस्त मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर व मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 का गहनता से अवलोकन किया गया। जिसके अध्याय 1 प्रारंभिक में **''बालक'' के अंतर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री है, किंतु इसमें कोई अवयस्क सम्मिलित नहीं हैं।** जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा स्वयं ने यह कथन किया है कि उसके दो पुत्र है, जो खाने कमाने हेतु अन्यत्र निवास करते हैं, जबकि प्रार्थीया द्वारा अपनी पुत्रवधु के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया हैं। **''भरण पोषण'' में आहार, वस्त्र, निवास और चिकित्सीय परिचर्या और उपचार उपलब्ध कराना सम्मिलित हैं।** जबकि प्रार्थीया द्वारा अपने मालिकाना हक की सम्पति से अप्रार्थीया को बेदखल करने का अनुतोष चाहा गया हैं। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में वर्णित सम्पति भी प्रार्थीया के मालिकाना हक की है, जिसका अन्य किसी को अन्तरण नहीं किया गया हैं। उपरोक्त विवेचन से यह साबित होता है कि प्रार्थीया द्वारा जो अनुतोष हस्तगत प्रकरण में

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत चाहा गया है, उक्त अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नहीं समझते हैं। लिहाजा प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रा0पत्र पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

–:आदेश:–

अतः उक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 23, अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिको का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 18/08/2025 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)